

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-311/11
संस्थापित दिनांक-02.08.2011
Filling no-235103002742011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- राजेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह परमार उम्र 69 साल 2- अरविन्द सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह उम्र 27 साल 3- गोविन्द सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह उम्र 31 साल निवासीगण - ग्राम सिरसौदा चंदेरीआरोपीगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 17.05.2017 को घोषित)

01- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 324/34, 323/34, 506 बी भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 06.07.2011 को शाम 5 बजे फरियादिया बिन्नाबाई के मकान के सामने लोकस्थल में आपने उसे व उसके पति को मां बहन की अश्लील गालिया देकर क्षोभ कारित किया तथा अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादिया बिन्नाबाई को धारदार वस्तु से चोट पहुँचाकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादिया बिन्नाबाई एवं उसे बचाने आये उसके पति बाबू एवं राहुल की मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादीगण को संत्रासित करने के आशय से क्षति कारित करने की धमकी दी।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादिया, आहतगण एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक **17.05.2017** को राजीनामा हो जाने से आरोपीगण राजेन्द्र, अरविन्द, गोविन्द को भा.द.वि की धारा 294, 323/34, 506 बी के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादिया बिन्नाबाई ने अपने पति बाबू व पुत्र राहुल के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 06.07.2011 को करीब 5 बजे वह और उसका पति अपने मकान के सामने रास्ते पर खड़े हुए थे, तो उनकी गाय राजेन्द्र परमार के द्वार पर पहुँच गई तो राजेन्द्र ने गाय में लाठी मार दी, मेरे पति ने कहा कि गाय को लाठी क्यों मारते हो तभी राजेन्द्र

परमार उनके सामने लाठी लेकर रास्ता रोककर खड़ा हो गया और उसे और उसके पति को मां बहन की अश्लील गालियां देने लगा, गाली देने से मना किया तो राजेन्द्र ने उसे बायं कंधे पर एक लाठी मारी मूंदी चोट आई तथा अरविन्द कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने भी मारपीट की, कुल्हाड़ी से उसके सिर में चोट आकर खून निकल आया तथा गोविन्द ने दोनों हाथ पकड़कर धक्का दिया था तथा अरविन्द ने एक कुल्हाड़ी उसके दाहिने हाथ की बची अंगुली के पोरुआ पर मारी जो चोट आकर खून निकल आया था। उसके पति बाबू सिंह व पुत्र राहुल ने उसे बचाया तो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट की जिससे उनके शरीर पर जगह-जगह चोटे आईं। खिलन सिंह व जण्डेल सिंह ने बीच बचाव किया। आरोपीगण बोल रहे थे कि आज तो बच गए आइन्दा जान से खत्म कर देगे। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 06.07.2011 को शाम 5 बजे फरियादिया बिन्नाबाई के मकान के सामने सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादिया बिन्नाबाई को धारदार वस्तु से चोट पहुँचाकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
----	---

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादिया बिन्नीबाई अ0सा01 ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 5 साल पहले की होकर शाम के 5 बजे की है। घटना दिनांक को उनकी गाय राजेन्द्र सिंह के खेरे में घुस गई थी तो राजेन्द्र सिंह ने उनकी गाय को लाठी मारकर भगा दिया था। इसी बात पर उसने राजेन्द्र सिंह से कहा कि उसकी गाय को क्यों मारा तो राजेन्द्र सिंह उसके साथ गाली गलौच करने लगा। उसने गाली देने से मना किया तो धक्का मुक्की में उसे गिरने से चोट आ गई थी और गाली गलौच की आवाज सुनकर उसका पति बाबू तथा लड़का राहुल भी आ गए थे उनके साथ भी आरोपीगण की कहा सुनी व धक्का मुक्की हो गई थी जिससे उन्हें भी हल्की चोट आ

गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। उक्त घटना के संबंध में उसके द्वारा थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी. 1 है। पुलिस घटना स्थल पर आई और नक्शामौका मेरी निशानदेही पर तैयार किया था जो प्र.पी. 2 है। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल कराया था और पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादिया बिन्नाबाई अ0सा1 ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि राजेन्द्र सिंह ने उसके बाएं कंधे में एक लाठी मारी मुंदी चोट आई। इस बात से भी इंकार किया कि अरविन्द कुल्हाडी लेकर आया और अरविन्द ने उसकी कुल्हाडी से मारपीट की जिससे उसके सिर में चोट लगकर खून निकल आया था। इस बात से भी इंकार किया कि उसे गोविन्द ने पकड़ लिया था व धक्का दे दिया था। इस बात से भी इंकार किया कि अरविन्द ने एक कुल्हाडी मारी जो उसके दाहिने हाथ की बीच की अंगुली के कोलुआ में लगी। इस बात से भी इंकार किया कि उसका पति बाबू लाल तथा राहुल बचाने आए तो आरोपीगण ने उनकी भी मारपीट कर दी जिससे उन्हें भी शरीर में चोटें आ गई थी। इस बात से भी इंकार किया कि मौके पर खिल्लन व जण्डेल सिंह मौजूद थे जिन्होंने उन्हें बचाया था। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1, पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट व कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकती। इस बात को स्वीकार किया कि उसका तथा उसके पति बाबूलाल व पुत्र राहुल का आरोपीगण से राजीनामा हो गया है। इस बात से भी इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण मैं आज न्यायालय में असत्य कथन कर रही हूँ।

08— अभियोजन साक्षी बाबूसिंह अ0सा02, राहुल अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वे आरोपीगण को जानते हैं। घटना करीब 5 साल पहले की होकर शाम 5 बजे की है। आरोपीगण से बिन्नाबाई की धक्का मुक्की हो गई थी गिर जाने से उसे चोट आ गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की।

09— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी बाबू अ0सा02, राहुल अ0सा03 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस बात से इंकार किया कि राजेन्द्र सिंह ने बिन्ना के बाएं कंधे में एक लाठी मारी मुंदी चोट आई। इस बात से इंकार किया कि अरविन्द कुल्हाडी लेकर आया और अरविन्द ने बिन्ना को कुल्हाडी से मारपीट की जिससे बिन्ना के सिर में चोट लगकर खून निकल आया था। इस बात से इंकार किया कि बिन्ना को गोविन्द ने पकड़ लिया था व धक्का दे दिया था। इस बात से इंकार किया कि अरविन्द ने एक कुल्हाडी मारी जो बिन्ना के दाहिने हाथ की बीच की अंगुली के कोलुआ में लगी। इस बात से इंकार किया कि वो तथा राहुल बचाने आए तो आरोपीगण ने उनकी भी मारपीट कर दी। इस बात से इंकार किया कि मौके पर

खिल्लन व जण्डेल सिंह मौजूद थे जिन्होंने उन्हें बचाया था।

10— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर स्वयं फरियादी बिन्नाबाई तथा आहत बाबूसिंह, राहुल द्वारा अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उक्त साक्षीगण ने उनके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया है कि धक्का मुक्की में गिरने से बिन्नाबाई को चोट आई थी। आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 06.07.2011 को शाम 5 बजे फरियादिया बिन्नाबाई के मकान के सामने लोकस्थल में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादिया बिन्नाबाई को धारदार वस्तु से चोट पहुँचाकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। अतः आरोपी राजेन्द्र, अरविन्द, गोविन्द के विरुद्ध धारा 324/34 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

12— प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की कुल्हाड़ी, एक बांस की लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

13— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0